राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

क्रमांकः– रास्कूशिप/जय/लाईब्रेरी ग्रान्ट/क्षेत्रीय भाषा/2020–21/ 18200 दिनांक :–13/1/21

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EoI)

पुस्तकालय अनुदान समग्र शिक्षा के तहत राज्यस्तरीय पुस्तक चयन/क्रय समिति द्वारा क्षेत्रीय भाषा **राजस्थानी की बुलबुल (कक्षा I से V), कोयल (कक्षा VI से VIII), मैना (कक्षा IX से XII) सीरीज** की पुस्तकें समस्त राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय करने निमित्त निजी प्रकाशकों/अकादमियों से उनके प्रकाशनों की एक–एक नमूना प्रति निःशुल्क 10 दिवस में दिनांक 22/1/2021 को (सायं 6 बजे तक) कार्यालय आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, (कक्ष संख्या 504) चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302017 में व्यक्तिशः/डाक से प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया जाता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात व्यक्तिशः या डाक से प्रस्तुत पुस्तकों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विस्तृत नियम एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट rajsmsa.nic.in एवं rajshaladarpan.nic.in पर उपलब्ध है ।

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
जयपुर

www.rajsevak.com

नियम एवं शर्तें

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा (पढ़े भारत बढ़े भारत) के तहत क्षेत्रीय भाषा (राजस्थानी) की कक्षा स्तरानुसार बुलबुल, कोयल एवं मैना (I-V, VI-VIII, IX-XII) सीरिज की पुस्तकें राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय हेतु क्रय की जानी है। अतः इच्छुक प्रकाशकों से उनके प्रकाशनों की विभिन्न सीरिज की राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की एक-एक प्रति दिनांक 22/01/2021 तक आयुक्त एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय में वाहक स्तर पर या पंजीकृत डाक से स्वयं के व्यय पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अंकित तिथि एवं समय पश्चात व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुस्तक क्रय की निम्नानुसार शर्तें रहेंगी :-

1. पुस्तकों का संस्करण वर्ष 2017 से पूर्व का नहीं होना चाहिये। प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण अंकित होना आवश्यक है। 2017 से पूर्व प्रकाशित पुस्तकों को क्रय नहीं किया जायेगा।
2. पुस्तकों में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में कॉपी राईट की जिम्मेदारी प्रकाशक की होगी।
3. प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण वर्ष एवं पुस्तक का मूल्य अन्दर के पृष्ठ पर अंकित होना चाहिये।
4. जिन पुस्तकों को क्रय किया जायेगा, उन पर प्रकाशक को निम्नानुसार न्यूनतम छूट देनी होगी :-

• 1 से 10 प्रतियां	–	10 प्रतिशत छूट
• 11 से 25 प्रतियां	–	15 प्रतिशत छूट
• 26 से 100 प्रतियां	–	20 प्रतिशत छूट
• 101 से 200 प्रतियां	–	25 प्रतिशत छूट
• 201 से 500 प्रतियां	–	30 प्रतिशत छूट
• 501 से अधिक	–	35 प्रतिशत छूट

www.rajsevak.com

5. पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि के कागज न्यूनतम 80 GSM एवं पृष्ठ कवर पेज 130 GSM तथा पुस्तक का शीर्षक पृष्ठ भाग पर अंकित होना चाहिए।

6. नमूना पुस्तक में दर्शित आईएसबीएन नम्बर के जारी होने के पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (प्रकाशक के स्वयं के द्वारा) जमा करवाई जानी आवश्यक है। पुस्तकों पर ISBN नम्बर अंकित होना आवश्यक है। इसके अभाव में चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक शीर्षकों की एक-एक प्रति नमूने के रूप में निशुल्क जमा करना अनिवार्य है। नमूने के लिये जमा की गयी पुस्तकें वापस नहीं की जायेगी। (संलग्नः- प्रपत्र 01-प्रकाशक के संबंध में आवेदन पत्र)

8. नमूने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली शीर्षकों की पुस्तकें सही संख्या में बंधी हुयी एवं इसके ऊपर प्रकाशक का नाम, पता जमा की गयी कुल शीर्षकों (पुस्तक) की संख्या मय सूची तथा आपको दिये गये विज्ञप्ति क्रमांक भी लिखा होना चाहिये।

9. नमूना पुस्तक/पुस्तकें अपने अग्रेषण पत्र पर पुस्तकों के साथ पुस्तक के संबंध में वांछित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल शीट, हिन्दी में Krutidev 010 फॉन्ट साईज 14 एवं अंग्रेजी में Times new roman फॉन्ट साईज 12 में तैयार कर संलग्न प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक ईमेल- **rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in** पर प्रेषित करेंगे। (संलग्नः प्रपत्र संख्या-02 अनुसार)

10. प्रकाशक को यह शपथ-पत्र जमा करवाना होगा कि उनके द्वारा नमूने के तौर पर जमा करवाई गयी पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है। परीक्षण में गलत पाए जाने पर प्रकाशक पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रकाशक को ब्लेक लिस्ट कर दिया जायेगा।

11. आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति 60 दिनों के अन्दर 301 ब्लॉक स्तर तक करनी होगी। पुस्तकों की विद्यालयवार एवं ब्लॉकवार वाटरप्रूफ पैकिंग करनी होगी।

www.rajsevak.com

12. आपूर्ति की गयी पुस्तकें मूल रूप से अंकित प्रकाशकों की ही होनी चाहिये। अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों पर पेज कवर बदल कर सप्लाई की गयी पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होंगी। शिकायत पाये जाने पर आदेश निरस्त किया जायेगा।

13. प्रकाशक को नमूना पुस्तक के साथ यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कहीं पर भी विक्रय नहीं किया गया है।

14. प्रकाशक द्वारा विभाग को आपूर्ति की जा रही पुस्तकों में दी जा रही छूट से अधिक किसी को नहीं दी अथवा नहीं देंगे इसका शपथ पत्र देना होगा। यदि किसी क्रेता को दी जाती है और इसकी जानकारी विभाग (परिषद) को होती है किताबों पर दी गयी अधिकतम छूट को मान्य करते हुये भुगतान किया जायेगा।

15. एक पैन कार्ड संख्या पर एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। पैनकार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

16. प्रकाशक द्वारा जीएसटी नम्बर नहीं देने पर 100 रूपये के स्टाम्प पर प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार नहीं करने का नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र देना होगा।

17. क्रय आदेश में आदेशित पुस्तकों का मिलान नमूना के समय उपलब्ध कराये गये सैम्पल के अनुरूप होना चाहिये। सैम्पल में उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों से आपूर्ति करायी गयी पुस्तकों में गुणवत्ता एवं विषयवस्तु की भिन्नता पाये जाने पर अथवा स्टीकर लगे या चस्पा किये गये मूल्य की पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पुरानी पुस्तकों पर नये मूल्य का पेज पाये जाने पर क्रयादेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशन द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. क्रय आदेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कुल आदेशित मूल्य का 2.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवं अनुबंध राज्य सरकार से करना होगा।

www.rajsevak.com

19. क्रय आदेश में वर्णित अवधि में यदि कोई प्रकाशक आदेश को पूर्ण अथवा आंशिक पालना में असफल रहेगा तो नियमानुसार प्रतिभूति (सुरक्षा निधि) की राशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

20. पुस्तकें ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने तक भौतिक सत्यापन के समय यदि पुस्तकों के पेज कटे-फटे या कुछ पेज गायब पाये जाते है तो ऐसी पुस्तकों के सैट मान्य नहीं होंगे। अमान्य पुस्तकों का मूल्य काटकर भुगतान किया जायेगा।

21. दोनों के रूप में प्रस्तुत की गयी पुस्तकों एवं आपूर्ति की गयी पुस्तकों में किसी प्रकार की भिन्नता (कवर पेज, कागज, पृष्ठ छपाई एवं गुणवत्ता आदि) पाये जाने पर क्रय आदेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशक के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

22. चयनित पुस्तक की प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक को होगा।

23. शर्तो के संबंध में आवश्यक शपथ-पत्र प्रकाशक के लैटर पैड पर मोहर लगाकर देना होगा।

24. सशर्त कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।

25. पुस्तक चयन के संबंध में सर्वाधिकार राज्य स्तरीय चयन समिति का होगा।

26. पुस्तक चयन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की पूछताछ/पडताल मान्य नहीं होगा। चयन के मामले में प्रकाशकों एवं संस्थाओं द्वारा यदि किसी प्रकार की लाबिंग/दबाव या किसी तरह से निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रयास को अयोग्यता की श्रेणी में रखा जायेगा।

27. यह विज्ञप्ति एवं इसके नियम व शर्ते संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगा।

www.rajsevak.com

पुस्तकों के संबंध में

1. पुस्तकें मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, पर्यावरण से संबंधित, नैतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों, स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाली स्वावलम्बी बनाने वाली, देश भक्ति एवं महापुरूषों के प्रति आदर बढाने वाली, प्रेरणादायी, बच्चों की तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान एवं विभिन्न कौशलों को विकसित करने वाली एवं राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्व एवं प्रेरक जीवनियों की जानकारी देने वाली होनी चाहिये।
2. पुस्तकें विद्यार्थियों के शैक्षिक परिवेश, रूचियों, विषय संबंधित आवश्यकताओं एवं पढने की क्षमताओं के अनुरूप बुलबुल (कक्षा 1 से 5), कोयल (कक्षा 6 से 8) एवं मैना (कक्षा 9 से 12) सीरीज की होनी चाहिये।
3. पुस्तकें, Story books एवं बालोपयोगी मैग्जीनस एवं कॉमिक्स 5–18 वर्ष के बच्चों में भाषा कौशल, लिखने एवं स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता, शब्द ज्ञान, सृजानात्मक, तार्किक सोच, गहन चिंतन के साथ स्वयं को परिवेश एवं वास्तविक जीवन से समन्वय स्थापित करने आदि का बढ़ावा देने वाली हो।
4. पाठ्यपुस्तक (Textbooks), संदर्भ पुस्तक (Reference Book) परीक्षा संबंधी पुस्तक एवं सामग्री एवं ऐसी पुस्तकें जो 18 वर्ष तक के बालकों के लिये उचित/ उपयोगी नहीं है पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. **प्रकाशकों द्वारा राजस्थान राज्य की क्षेत्रीय भाषा राजस्थानी की पुस्तकें ही जमा की जायेंगी। अन्य भाषा की पुस्तकें स्वीकार नहीं होंगी।**
6. विद्यार्थियों के लिये प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिये जो किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत एवं बच्चों की मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी अंश में उपरोक्त किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी/जवाबदेही प्रकाशक की होगी।

www.rajsevak.com

7. निर्देशानुसार बुलबुल, कोयल एवं मैना का निर्धारित लोगो एवं समग्र शिक्षा के साथ क्रय वर्ष पृष्ठ कवर के मुख्य पृष्ठ पर अंकित/मुद्रित करना होगा।

8. दो या दो से अधिक सीरीज (कक्षा I-V, VI-VIII, IX-XII) हेतु उपयोगी होने वाली पुस्तक पर दो या तीन बुलबुल, कोयल व मैना के लोगो के साथ समग्र शिक्षा एवं क्रय वर्ष पृष्ठ कवर के मुख्य पृष्ठ पर अंकित/मुद्रित करना होगा।

www.rajsevak.com

प्रपत्र– 01

आवेदन पत्र

(प्रकाशक के संबंध में)

1. प्रकाशन का नाम :...
2. पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :...

.... पिन कोड...............

3. दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर :...
4. ई–मेल आईडी :...
5. प्रकाशन के स्वामी/भागीदार का पूरा नाम :...
6. स्वामी/भागीदार का पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :...

.... पिन कोड...........

7. दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर :...
8. प्रकाशन/स्वामी का स्थायी लेखा संख्या/PAN :...
9. प्रकाशन का बैंक एकाउंट नं. :...
10. बैंक का आईएफएससी कोड :...
11. बैंक शाखा का नाम एवं पता :...

....

12. प्रकाशक द्वारा जमा की गई नमूनार्थ शीर्षकों की संख्या :...

स्वामी/प्रकाशक के हस्ताक्षर

प्रकाशन की मुहर

निर्देश : यह परिशिष्ट प्रकाशन इकाई के स्वामी द्वारा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर एवं मुहर सहित स्वंय के हस्ताक्षर कर पुस्तकों के नमूनों के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

www.rajsevak.com

प्रपत्र– 02

पुस्तक सूची

क्र.स.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम, पता एवं दूरभाष नं.	मूल्य	प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण	पृष्ठ संख्या	ISBN No.	विषय वस्तु	कक्षा स्तर (I-V, VI-VIII, IX-XII)	पुस्तक का आकार	पुस्तक में प्रयुक्त कागज का विवरण किस्म– जीएसएम–
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

www.rajsevak.com

स्वामी/प्रकाशक के हस्ताक्षर

प्रकाशन की मुहर